# कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकीप्रभाग,बिजनौर

## पत्रांक 886/14–1 बिजनौर दिनांक सितम्बर, 13 ,2021

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय, निदेशक
मुरादाबाद वृत्त,मुरादाबाद।

विषयः– जनपद बिजनौर में तहसील व जिला बिजनौर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 चैनेज किमी0 67.050 सें किमी0 79.330 तक प्रभावित **11.1077** हे0 संरक्षित वन भूमि के गै वानिकी प्रयोग एवं 4316 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध मे।

सन्दर्भः– Online Submission Proposal FP/UP/ROAD/43253/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद बिजनौर में तहसील व जिला बिजनौर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 चैनेज किमी0 67.050 सें किमी0 79.330 तक प्रभावित **11.1077** हे0 संरक्षित वन भूमि के गै वानिकी प्रयोग एवं 4316 वृक्षों के पातन की अनुमति की आवश्यकता है।

वन ( संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा–2 के अन्तर्गत **11.1077** हे0 संरक्षि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 4316 वृक्षों के पातन की अनुमति के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 04 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक कर प्रेषित किये जा रहे हैं। यह परियोजना हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत है। कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, मुजफ्फरनगर को भेजने की कृपा करे।

**प्रस्तावः– प्रस्ताव की चार प्रतिया**

**भवदीय**

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

पत्रांक /14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 मेरठ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय बनाधिकारी बिजनौर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बिजनौर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।